मोतीलाल **फर्द अहकाम** जगदीश

बनाम

(न्य)ायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी प्रार्थना पत्र 200/2024

(व)ाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21.04.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। मूल वादपत्र में पूर्व आदेशिका में अप्रार्थी सं. 31 के स्थान पर अप्रार्थी सं0 23 पढा लिखा समझा जाने हेतु आदेश किया गया है। उक्तानुसार इस प्रार्थना पत्र की आदेशिका में अप्रार्थी सं0 31 के स्थान पर अप्रार्थी सं0 23 पढा लिखा समझा जावे। मूल वादपत्र में अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 लगा 25 की सम्यक तामील मानी जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुऐ वादग्रस्त आराजी ख0नं0 31, 32 कुल किता 2 कुल रकबा 3.0221 व ख0नं0 1575 रकबा 0.1200 है0 स्थित ग्राम चक माधोगढ पटवार हल्का माधोगढ भू0अ0नि0 तूंगा तह0 तूंगा जिला जयपुर के संबंध में प्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 223/2024 उनवान मोतीलाल बनाम जगदीश के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	